के ...

14/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
जवाब हेतु वकील अप्रार्थी अवसर चाहते हैं। पूर्व
में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं एवं आदेशिका
6.12.22 में अन्तिम अवसर प्रदान करने पर भी
वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं किया
गया। अतः जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली पर
बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। प्रा.पत्र प्रार्थी
स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया
जाकर हस्ता. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या/प्रार्थना पत्र/557/2022 दायरा दिनांक 11.10.2022

छोटूलाल आ0 रामगोपाल जाति भील निवासी झिरनियां तहसील झालरापाटन ... प्रार्थी

बनाम

1. अमरललाल आ0 स्व0 नन्दा जाति भील निवासी झालावाड़
2. पूरीबाई पुत्री स्व0 नन्दा जाति भील निवासी झालावाड
3. फूलबाई पत्नि स्व0 नन्दा जाति भील निवासी झालावाड
4. शांतिबाई पुत्री स्व0 नन्दा जाति भील निवासी झालावाड
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (1) राज0 टीनेन्सी एक्ट

–:: आदेश ::–

दिनांक 14.12.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

प्रार्थी छोटू लाल पुत्र श्री रामगोपाल निवासी झिरनिया, दुर्गपुरा झालावाड़ द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उनके खाते की ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का दुर्गपुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ में खाता संख्या 144 की खसरा नम्बर 169 की 01.7071 है0 भूमि स्थित है। इसमें उषा भील व मूलचन्द भी सहखातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । उक्त आराजी में 169 में जाने के लिए ग्राम गोपालपुरा के खसरा नम्बर 451/158 में स्थित रास्ते से होकर उत्तर दिशा की ओर खसरा नम्बर 165 जो नगर परिषद की भूमि में से जो कि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी है पर विद्यमान रास्ते से होता हुआ खसरा नम्बर 166 खसरा नम्बर 170 जो कि सरकारी भूमि है पर से हुता हुआ खसरा नम्बर 169 पर आता जाता है । खसरा नम्बर 166 व 170 पर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकन नहीं हो रहा है जिस कारण अअप्रार्थी 1 लगायत 4 आपत्ति करते हैं प्रार्थी अपने खाते की आराजी में आने–जाने, हल कुली, सामद, अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए 30 वर्षो से अधिक समय से 165, 166 व 170 पर से अपनी आराजी पर कृषि उपकरण, फसल आदि लाते ले जाते रहे हैं जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को है । उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं है लेकिन मौके पर रास्ता विद्यमान है । इसके अलावा प्रार्थी का अपने खाते की आराजी में आने–जाने का रास्ते का कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 169 पर जाने के लिये 166 व 170 में 40 फीट अथवा विधि अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाये जाने वाले रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर आवेदक को उपलब्ध करवाने की कृपा करें । उक्त आराजीयात के खसरा, मेप व नक्शा ट्रेस में करने एवं 40 फीट चौड़ा रास्ता उपयोग हेतु दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे इस हेतु प्रार्थी नियत राशि जमा करवायी जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामबाबू माहेश्वरी ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र बाबत् मृतक व्यक्ति के विरूद्व दावा पेश करने के सम्बन्ध में पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । वकील प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना कर सीधे ही बहस की प्रार्थना की । हमने बहस प्रार्थना पत्र सुनी तथा प्रार्थना पत्र वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 251 (ए) में नियत की गई । वकील प्रार्थी द्वारा नियत दिनांक तक जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई ।

प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी के रिकार्ड व मौके की जांच कर तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अपने पत्रांक 782 दिनांक 24.11.2022 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थी के खाते में 3593/6552 HEC भूमि आराजी स्थित है। प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में आने–जाने के लिए वर्षो से गैरखातेदारी व सरकारी 166 व 170 भूमि में स्थित रास्ते का उपयेाग करते आ रहे है। प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में आने–जाने के लिए गैरखातेदारी 166 व सरकारी 170 में स्थित रास्ते के अलावा कोई विकल्प नही है।

चूंकि राज्य सरकार के परिपत्र पत्रांक प. 3(52) राज. 06/12/04 राजस्व (ग्रुप–6) विभाग दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि किसी भी खतोदार आराजी से अपनी जौत तक आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ते का विकल्प नही है तो खातेदार राजकीय भुमि व गैरखातेदारी में से होकर अपनी जौत तक पहूँच सकता है व राजस्थान स्टाम्प नियम 2 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तर समिति द्वारा सिफारिश की गई दर का दोगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत किया जा सकता है।

हमने बहस वकील फरीकेन सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । उक्त परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार झालरापाटन से प्राप्त जवाब/रिपोर्ट (पत्रांक 782 दिनांक 24.11.2022) के आधार पर प्रार्थी को अपने खाते की आराजी ग्राम गोपालपुरा तहसील झालरापाटन में आने–जाने के लिए रास्ते का अन्य कोई विकल्प नही होने से ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का दुर्गपुरा तहसील झालरापाटन के माल की गैरखातेदारी के खसरा नम्बर 166 में से 30 फिट चौडी व 104 लम्बी (0.0289 HEC) एवं 170 के खसरा नम्बर भूमि में से 30 फिट चौड़ी (0.0499 HEC) रास्ते की भूमि की DLC दर से दोगुनी राशि राजकोष में जमा करने के पश्चात प्रार्थी को उक्त रास्ते का उपयोग करने की एतदद्वारा स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात उक्त रास्ते की भूमि को नापकर नक्शे में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। ये रास्ता किसी भी स्थिति में 30 फिट चौड़ाई से अधिक नही हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

उखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

क्रमांक /रीडर/2022/ 1320-21

दिनांक 14 दिसम्बर 22

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय झालरापाटन
2. प्रार्थी छोटू पुत्रश्री रामगोपाल,निवासी झिरनिया तहसील झालरापाटन

उखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी झालावाड़